पत्रावली पेश हुई वकील [illegible]
[illegible] धारा 102 [illegible] प्रा०-पत्र पेश
[illegible] किया गया। न्यायालय के समक्ष आवश्यक
[illegible] अतः मुकदमे की मासी तारीख
[illegible] तक दिनांक 18/9 को पेश हो।

06/09/19
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़, झुन्झुनूं

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान आज
[illegible] कार्य नहीं कर रहे हैं। निकला गत-
आदेशानुसार दिनांक 14.11.19 को पेश हो।

18/10/19
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़, झुन्झुनूं

पत्रावली पेश हुई आज अधिवक्तागण
[illegible] कार्य नहीं कर रहे हैं। निकला गत-
आदेशानुसार दिनांक 06-1-2020 को पेश हो।

14/11/19
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़, झुन्झुनूं

6-1-20 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान
उपस्थित। प्रार्थी वादी का वाद सड़क तकमीली में
रकबारि लोगे के फलस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना
पत्र भी मूल वाद के साथ आ० सादिरा 9
[illegible] CPC के प्रावधानों के तहत सड़क तकमीली
में शामिल किया गया है। पत्रावली मौखिल
कुमार होकर दर्ज रजिस्टर के क्रम से एक
वाद तकमीली मूल वाद के मलहम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

06/01/2020
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़ (झुन्झु.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Yadav
Date: 2020.01.07 12:05:44 IST
Reason: SelfAttested